न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय, संख्या 1, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी- क्षितिज कुमार श्रीवास्तव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे.ओ.कोड यू.पी. 5967

UPME190010212023

मूल वाद संख्या 259/2023

स्टेट बैंक आफ इंडिया, एक निगमित निकाय, कॉर्पोरेट आफिस मैडम कामा रोड़, मुम्बई। शाखा अब्दुल्लापुर, मेरठ। लोकल हैड आफिस नेटवर्क- III, 11, संसद मार्ग नई दिल्ली द्वारा प्रबन्धक कु. कनिका चौहान उम्र लगभग 33 वर्ष।

..... वादी।

बनाम

1. मेसर्स कोमेक्स स्पोर्ट्स, स्थित 51-A, मौहल्ला अहमंदपुरा, ग्राम अब्दुल्लापुर, मेरठ द्वारा प्रोपराइटर प्रतिवादी संख्या 2

2. जोगिन्द्र कुमार पुत्र शीशपाल, निवासी 51-A, मौहल्ला अहमंदपुरा, ग्राम अब्दुल्लापुर, मेरठ ..... प्रतिवादीगण।

निर्णय

1- प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के अन्तर्गत भुगतान करने की तिथि तक मासिक स्थिरता सहित दौरान वाद व भावी 12.40 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 1,90,494/- रुपये टर्म लोन के रूप में एवं भावी 11.45 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 7,93,493/- रुपये कैश क्रेडिट के रूप में वसूल करने हेतु संस्थित किया गया है।

2- संक्षेप में वादी का कथन है कि वादी बैंक एक निगमित निकाय है, जिसका गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अन्तर्गत किया गया है तथा जिसका कार्पोरेट आफिस मैडम कामा रोड़, नरीमन प्वाइन्ट मुम्बई में स्थित है एवं शाखा अब्दुल्लापुर मेरठ में है जो लोकल हैड आफिस नेटवर्क-III, 11, संसद मार्ग नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कु. कनिका चौहान स्टेट बैंक आफ इंडिया, अब्दुल्लापुर, मेरठ के वर्तमान में प्रबन्धक है जो वाद दायर करने व अभिवचनों को हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

प्रतिवादीगण ने टर्म लोन व कैश क्रेडिट लिमिट लेने के लिये वादी बैंक की अब्दुल्लापुर शाखा पर संपर्क किया। प्रतिवादी द्वारा वादी बैंक के पक्ष में अपेक्षित

दस्तावेज निष्पादित करने पर वादी बैंक ने दिनांक 24-01-2019 को प्रतिवादीगण को 2,60,000/- रुपये का टर्म लोन एवं 5,00,000/- रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत किया। उपरोक्त सुविधा को सुरक्षित करने के लिए सभी प्रकार के स्टाक और विविध देनदारों के दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षित की गई थी। उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, प्रतिवादीगण ने ऋणकर्ता के रूप में, वादी बैंक के पक्ष में अरेंजमेंट लेटर एवं एग्रीमेंट आफ लोन-कम-हाइपोथिकेशन निष्पादित किया। उक्त टर्म लोन के अन्तर्गत देय धनराशि का पुनर्भुगतान 4407/- रुपये की 58 मासिक किश्तों में किया जाना था। पहली किश्त फरवरी 2019 को और उसके बाद हर अगले महीने में देय थी तथा कैश क्रेडिट लिमिट का पुनर्भुगतान मासिक अन्तराल के साथ दैनिक उत्पाद के आधार पर किया जाना था। टर्म लोन/कैश क्रेडिट लिमिट की धनराशि पर 11.3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने पर सहमति हुई। वर्तमान में टर्म लोन हेतु ब्याज की प्रचलित दर 11.40 प्रतिशत वार्षिक एवं कैश क्रेडिट पर ब्याज की प्रचलित दर 11.85 प्रतिशत वार्षिक है।

उपरोक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने के उपरान्त वादी ने प्रतिवादी के खातों में उक्त धनराशि डेबिट करके वित्तीय सुविधाएं वितरित कर दी। वादी बैंक द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी ने वादी बैंक की संतुष्टि के अनुसार वित्तीय अनुशासन बनाए नहीं रखा, सहमत शर्तों का उल्लंघन किया और खाते को स्टीकी एवं अनियमित बना दिया। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिनांक 12-10-2020 को 10,000/- रुपये तथा दिनांक 09-12-2020 को 30,000/- रुपये जमा किये। इस प्रकार के खातों में, जिन्हें एन.पी.ए. श्रेणी में रखा गया था, ब्याज लगाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था और उसे बकाया राशि की वसूली के बाद या वाद दायर करने के समय लगाया गया था। प्रतिवादी वादी बैंक के साथ वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में विफल रहा तथा वादी बैंक की बार-बार की मांगों के बावजूद बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। वादी बैंक ने दिनांक 27-09-2021 व 06-12-2021 को कानूनी नोटिस भेजा, प्रतिवादीगण भुगतान करने में विफल रहे। प्रतिवादी पर टर्म लोन में 1,90,494/- रुपये की धनराशि एवं कैश क्रेडिट में 6,02,999/- रुपये कुल 7,93,493/- रुपये की ऋण राशि बकाया है। इस धनराशि में दिनांक 07-08-2023 तक का ब्याज शामिल है।

उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर वादी ने यह प्रार्थना किया है कि वादी को प्रतिवादीगण से भुगतान करने की तिथि तक मासिक स्थिरता सहित दौरान वाद व भावी 12.40 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 1,90,494/- रुपये टर्म

लोन के रूप में एवं भावी 11.45 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 7,93,493/- रुपये कैश क्रेडिट के रूप में दिलाया जाये।

3- वाद संस्थित होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को समन प्रेषित किये गये तथा इस न्यायालय द्वारा दिनाँक 17-04-2025 को प्रतिवादीगण पर समन की तामील पर्याप्त मानी गई, किन्तु प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए दिनाँक 19-08-2025 को प्रतिवादीगण के प्रतिवादपत्र दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया गया।

4- वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सबूत सूची कागज संख्या 8ग/1 से लेटर आफ अरेंजमेंट कागज संख्या 8ग/2 लगायत 8ग/12, एग्रीमेंट आफ लोन-कम-हाइपोथिकेशन कागज संख्या 8ग/13 लगायत 8ग/22, नोटिस कागज संख्या 8ग/23 लगायत 8ग/24 एवं कागज संख्या 8ग/25 तथआ एकाउंट स्टेटमेंट कागज संख्या 8ग/26 लगायत 8ग/47 दाखिल किया गया है।

5- वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी.डब्लू. 01 प्रशांत कुमार शर्मा का शपथपत्र कागज संख्या 26क/1 लगायत 26क/3 दाखिल किया गया है।

6- मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का परिशीलन किया।

7- वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। मैंने वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का परिशीलन किया।

8- वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 24-01-2019 को अंकन 2,60,000/- रुपये का टर्म लोन एवं 7,60,000/- रुपये का कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान किया गया था। टर्म लोन को 4407/- रुपये की 58 मासिक किश्तों में 11.3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करना था। उपरोक्त ऋण के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये गये, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तथा वादी द्वारा बार-बार मांगने पर भी प्रतिवादीगण ने ऋण अदा नहीं किया। वादी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वादपत्र में किये गये अभिवचनों को साबित किया गया है और वादी द्वारा संस्थित वाद सव्यय डिक्री होने योग्य है।

9- वादी द्वारा परीक्षित साक्षी पी.डब्लू. 01 प्रशांत कुमार शर्मा ने शपथपत्र कागज संख्या 26क/1 लगायत 26क/3 के माध्यम से दाखिल अपनी मुख्य परीक्षा में वादी द्वारा अपने वादपत्र में किये गये अभिकथनों का समर्थन किया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भी वादी द्वारा अपने वादपत्र में किये गये अभिकथनों का समर्थन होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास

करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों की उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी अपने वादपत्र में किये गये अभिकथनों को साबित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद सव्यय आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध संस्थित वाद सव्यय आज्ञप्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे भुगतान करने की तिथि तक मासिक स्थिरता सहित दौरान वाद व भावी 12.40 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 1,90,494/- रुपये टर्म लोन के रूप में एवं भावी 11.45 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अंकन 7,93,493/- रुपये कैश क्रेडिट के रूप में तीन माह के अन्दर अदा करे। यदि प्रतिवादीगण नियत अवधि में डिक्रीत राशि मय ब्याज वादी बैंक को अदा नहीं करते हैं तो वादी नियमानुसार उक्त धनराशि प्रतिवादीगण से वसूल करने का अधिकारी होगा। तदनुसार डिक्री तैयार की जाये।

दिनांक: 10-07-2026

(क्षितिज कुमार श्रीवास्तव)
पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 10-07-2026

(क्षितिज कुमार श्रीवास्तव)
पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2026.07.10 16:24:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court